न्यायालय- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी	-	**राजीव दत्तात्रेय** (RJS)
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	189/2019 (CIS- 189/2019)
प्रथम सूचना रिपोर्ट	-	95/2019 (**थाना केलवाडा**)
सीएनआर संख्या	-	RJBR090006422019

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

1. **रायसिंह पुत्र बिहारीलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां,**
2. **बलराम पुत्र हीरालाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी नियाणा ग्रेड के सामने बारां थाना कोतवाली, बारां, जिला बारां,**
3. **नेना उर्फ गुड्डू उर्फ मेंबर पुत्र जवाहरसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां,**
4. **बहादुर सिंह पुत्र भंवरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां।**

........अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी- राज्य की ओर से उपस्थित।
2. श्री **पंकज शर्मा**, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण रायसिंह व नेना उर्फ मेंबर की ओर से।
3. श्री नंद किशोर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त बलराम की ओर से,
4. श्री ओम मेहता, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त बहादुर की ओर से।

नि र्ण य

दिनांक : 23 मार्च, 2026

1- संक्षेप में अभियोजन मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2019 को समय 09.23 पीएम पर फरियादी श्री प्रकाश पुत्र जगन्नाथ उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हम ग्राम रजपुरा

थाना आवदा जिला श्योपुर म.प्र. का रहने वाले हैं हमने आज से 8 दिन पहले हमारे गाँव में ही राजेन्द्र राठौर निवासी केलवाडा को गेहू की फसल बेची थी हमने गाँव मे ही फसल को तुलवा दिया था आज हम 10 बजे गाँव में चले थे, मेरी मोटरसाइकिल से आये थे, मेंरे साथ ही श्यामू पीछे बैठ कर आया था हमने केलवाडा में राजेन्द्र राठौर से मैने 42,000 हजार रूपये फसल के लिये थे व श्यामू ने 60,000 हजार रूपये लिऐ थे व उसके बाद हमने केलवाडा में गठठू मिस्त्री के पास मेरी मोटरमाईकिल को ठीक करवाया, जिसके 1000 हजार रूपये भुगतान किये उसके बाद मैने चौराहा पर नाई से डाडी बना बाई 1 बजे के लगभग मैं व श्यामू दोनों ही मेरी मोटरसाईकिल से हमारे गाँव के लिए रवाना हुये हम दोनों गोरधनपुरा ग्राम से आगे व माधोपुर ग्राम से एक डेढ किलो मीटर आगे बिजली पावर हाऊस से आगे जब हम जा रहे थे तो 1.30 PM करीब सडक पर 5 अज्ञात व्यक्ती आये जिनके पास 1 डिस्कवर काले रगं की मोटरसाईकिल थी जिस पर 3 व्यक्ति बैंठे हुये थे, जिन्होंने मुँह पर कपडा बांध रखा था व मोटरसाइकिल के नंबर पे भी कपडा बांध रखा था, एक मोटरसाइकिल स्पलेन्डर काली कलर की थी जिसपे दौ व्यक्ति बैंठे थे उन्होने भी कपडा बांध रखा था इन सभी की उम्र 25 से 35 वर्ष के थे लगभग थी। हमारी मोटरसाइकिल के आगे आकर इन्होने हमे धमकी दी व चाकू से मारने की धमकी देकर मेरी जेब में रखे 41,000 हजार रूपये व श्यामू की जेब मे रखे 60,000 हजार रूपये निकाल के ले गये रिपोर्ट। मेरा मोबाईल भी ले गये आयटेल का जिओ की सिम है जिसका न. 9399101319 है।..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केलवाडा, जिला बारां में मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध धारा 392/34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2- बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 392/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से लिखित में सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3- तत्पश्चात अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यु1 रामस्वरूप, पीडब्ल्यु 2 राजेन्द्र राठौर, पीडब्ल्यु 3 श्यामू, पीडब्ल्यु4 प्रकाश, पीडब्ल्यु5 बबलेश, पीडब्ल्यु6 गिरवर सिंह, पीडब्ल्यु 7 हरिशंकर, पीडब्ल्यु 8 सुभाष, पीडब्ल्यु 9 मातादीन, पीडब्ल्यु 10 प्रकाशचंद, पीडब्ल्यु 11 रामस्वरूप, पीडब्ल्यु 12 चौथमल, पीडब्ल्यु 14 कैलाशचंद, पीडब्ल्यु 14 अशोक कुमार, पीडब्ल्यु 15 हरलाल, पीडब्ल्यु 16 अरविंद को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3, शिनाख्तगी की फर्द प्रदर्श पी 4, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 5, फर्द

गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 6, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 7, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 8, फर्द जब्ती एवं बरामदगी सूचना प्रदर्श पी 9, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12, नक्शा मौका प्रदर्श पी 13, नक्शा मौका प्रदर्श पी 14, प्रमाणित प्रति/नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 व 16, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 17, तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-18, फर्द बरामदगी घटनास्थल रूपये प्रदर्श पी 19, फर्द बरामदगी घटनास्थल मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 20, नक्शा मौका प्रदर्श पी 21, नक्शा मौका प्रदर्श पी 22, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना/मालखाना की प्रति प्रदर्श पी-23, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना/नक्शा मौका प्रदर्श पी-24, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-25, मुलजिम की शिनाख्तगी प्रदर्श पी 25, शिनाख्तगी प्रदर्श पी 26, आपराधिक रिकॉर्ड/फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 27 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया तत्पश्चात अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त की।

4- अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्पष्टीकरण दिया कि वह निर्दोष है, झूठा फसाया गया है, कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5- बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण ने किसी प्रकार की लूट नहीं करी है न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पैसा परिवादीगण से लिया गया है, अभियुक्तगण निर्दोष हैं, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में आपस में विरोधाभास है, जिससे अपराध प्रमाणित नहीं होता है, अभियुक्तगण का चेहरा परिवादीगण द्वारा नहीं देखा गया न ही किसी ने अभियुक्तगण को वारदात करते हुये देखा कि यह वो अभियुक्तगण है, जिनके द्वारा घटना कारित की गयी, अतः ऐसी दशा में अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6- इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -

(1). **क्या आपने दिनांक 22.04.2019 को समय दोपहर 1.30 PM के लगभग बमुकाम मौजा गोरधनपुरा से आगे बिजली पावर हाउस के पास में सामान्य आशय की पूर्ति में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की मोटरसाइकिल के आडे फिरकर फरियादी प्रकाश से 41,000/- रूपये व श्याम से 60,000/- रूपये चाकू से मारने की धमकी देकर तत्काल उपहति के भय में डालकर ले जाकर लूट कारित की ?**

(2). यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?

7- उपरोक्त अवधारणीय बिंदू के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराधियों के संबंध में जो साक्ष्य आयी है, उसका विवेचन किया जाये तो इस प्रकरण में पीडब्ल्यु 2 राजेन्द्र एक महत्वपूर्ण गवाह है, जिसने परिवादीगण व आहतगण को गेहूं खरीद के पैसे दिये थे। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि सन 2019 में वह मण्डी का काम करता था, जिसमें गेंहू आदि खरीद व बेचने का कार्य होता है, वह प्रकाश व श्यामू सहरिया को जानता हैं उसने सन 2019 में इनसे गेंहूं खरीदे थे, फिर से सीताबाडी रोड केलवाडा पर उसके घर पर रूपये लेने आये थे, उसने उनको 60000/ रूपये श्याम को व 42000/ रूपये प्रकाश को दिये थे, ये दोनों रूपये लेकर बाजार में चले गये थे, वहॉ से ये गॉव के लिये निकले तो कुछ व्यक्ति इनके पीछे लग गये, बाद में टेलीफोन पर सूचना दी कि, माधोपुर व गोरधनपुरा के बीच उनके साथ लूट हो गयी व उनके रूपये लूट लिये उन्होंने बताया कि दो मोटरसाइकिलों पर चार पॉच व्यक्ति थे, फिर उसने इसकी रिपोर्ट की। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में रिपोर्ट किये जाने का तथ्य जाहिर किया है, पत्रावली पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 संलग्न है, जो प्रकाश के द्वारा दर्ज करायी गयी है, राजेन्द्र के द्वारा तहरीरी रिपोर्ट करायी हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आगे इस गवाह ने जिरह के दौरान कथन किया कि लूट की घटना होते हुये नहीं देखी थी न ही वह मुलजिमान को जानता पहचानता है। उसक घटना से कोई लेन देना नहीं है, इनके पैसे कहॉ गये मुझे पता नहीं है। इस प्रकार जिरह के दौरान इस गवाह ने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक व उल्लेखनीय है कि यह गवाह मजरूब प्रकाश व श्यामू को गेंहू विक्रय के पैसे देने की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसी परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य घटना के संबंध महत्वपूर्ण है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात को स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि उसने गेहूं के विक्रय की राशि के ऐवज में प्रकाश व श्यामू सहरिया को नगद राशि दी थी। इसी परिप्रेख्य में पीडब्ल्यु 3 मजरूब श्यामू की साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि आज से करीब छ सात महीने पहले की बात है। मैं और प्रकाश घटना के पन्द्रह-बीस दिन पहले एक खंडेला गांव का सेठ जो कि केलवाड़ा रहता है, को हमने गेंहू बेचा था जिसके पैसे एक लाख एक हजार रूपये लेने आये थे। मेरे गेंहूं के साठ हजार रूपये व प्रकाश के 42000/ रूपये थे जो कि हमने पेंट की जेब में रख रखे थे। जैसे ही हम गोरधनपुरा व माधोपुर गांव के बीच पहुंचे तो दो व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर हमारी मोटरसाईकिल के आगे हो गये और हमारी मोटरसाईकिल रूकवाने लगे। जैसे ही हमने हमारी मोटरसाईकिल रोकी तो पीछे से

एक मोटरसाईकिल और आ गई जिस पर दो व्यक्ति और बैठे थे। एक व्यक्ति मेरे हाथ पकड़ लिये और दूसरे ने मेरी जेब में रखे पैसों को हाथ से निकाल लिया। एक व्यक्ति ने मुझे चाकू दिखाया और कहा कि पैसे निकाल दे और हिलना मत और चुपचाप रहे। ऐसे ही प्रकाश को भी उन व्यक्तियों ने पकड़ लिया और उसकी जेब में रखे 42000/ रूपये निकाल लिये। फिर हम वापिस केलवाडा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गये। हमने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 है चाक एफआईआर प्रदर्श पीउ है जिन पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी1 है जिस पर भी एक्स स्थान पर मेरा अंगुठा निशानी है। लूट करने वाले व्यक्तियों को हम सकल से जानते है। हमने मुलजिमों को जैल में पहचाने थे जिसकी फर्द शिनाख्ती प्रदर्श पी4 है जिस पर भी एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। इस गवाह ने जिरह के दौरान यह कथन किया है कि वह मुलजिम को जानता पहचानता नहीं है न ही उनके नाम जानता है। उसके रूपये किसने छीने व उसके चाकू किसने लगाया, इस बात की भी जानकारी नहीं है न ही मुलजिमानों की शिनाख्तगी की। नक्शा मौका उसे पढकर नहीं सुनाया न ही उसमें क्या लिखा था, उसे पढकर सुनाया, यह बात सही है कि कौन मुलजिम थे, उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 4 शिनाख्तगी उसके द्वारा नही करायी गयी। इस प्रकार इस गवाह ने यद्यपि घटना के संबंध में चार-पॉच व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य जाहिर किया है, लेकिन उसने मुलजिमानों को नामजद नहीं किया है, न ही उनको पहचानने के संबंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य जाहिर किया है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जिरह के दौरान इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके द्वारा कोई शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं की गयी न ही मुलजिमानों को पहचाना। इस स बंध में पत्रावली पर प्रदर्श पी 4 शिनाख्तगी की कार्यवाही का तथ्य है, जिस पर एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है। श्यामू के द्वारा उक्त अपराधियों की पहचान बाबत दस्तावेज है, लेकिन न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि उसन मुलजिमान की पहचान नहीं की थी न ही वह मुलजिमानों के नाम पते जानता है। इसी प्रकार की साक्ष्य श्यामू ने पीडब्ल्यु 3 के रूप में उपस्थित होकर मुलजिम बहादुर की हद तक दी है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से तीन चार साल पहले की घटना है, वह और प्रकाश, राजेन्द्र से गेहूं के क्रमशः 60,000/- व 42,000/- रूपये लेकर अपने गॉव जा रहे थे, माधोपुर व गोरधनपुरा के बीच दो मोटरमाईकिलों पर पॉच व्यक्ति आये और मोटरमाईकिल आडे लगाकर चाकू लगाकर उनके रूपये निकालकर लूट लिये और चले गये, फिर उन्होंने थाना केलवाडा पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवायी, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 व नक्शा प्रदर्श पी 1 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी थी। पुलिस बाद में उन्हें जेल पर लेकर गयी थी, जहॉ उसने पैसे लूटने वालों

को पचाहनना था, पहचान करने बारां जेल पर गये थे, फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी 4 पर एक्स स्थान पर उसने अंगूठा निशानी की थी। जिरह के दौरान इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने रिपोर्ट नहीं लिखी थी, पुलिस वालों ने लिखी थी, मुलजिमानों के नाम पता नहीं जानता न ही जानता पहचानता हूं। रिपोर्ट रिपोर्ट कराने हमारे साथ रामस्वरूप आया था। पत्रावली पर यह रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 संलग्न है, जिसमें रामस्वरूप रिपोर्ट कराने गया हो, ऐसा तथ्य पत्रावली में अंकित नहीं है। इस गवाह ने आगे यह कथन किया है कि पुलिस थाना केलवाडा पर पुलिस ने मुलजिमानों को दिखा दिया था। अर्थात् इस गवाह ने जिरह में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने शिनाख्तगी की कार्यवाही प्रदर्श पी 4 होने से पूर्व ही मुलजिमानों को थाने पर दिखा दिया। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसने मुलजिमानों को पहचानने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। हालांकि इस गवाह ने आगे यह भी बताया है कि उसने मुलजिमानों को थाने पर देखा, इस आधार पर उनकी पहचान की बल्कि, लूट के समय से उनको जानते थे। इसी प्रकार की साक्ष्य घटना के संबंध में पीडब्ल्यु 4 प्रकाश ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि आज से करीब छ-सात महीने पहले की बात है। मैं और श्यामू घटना के आठ-दस दिन पहले एक खंडेला गांव का सेठ राजेन्द्र जो कि केलवाड़ा रहता है, को हमने गेंहू बेचा था जिसके पैसे एक लाख एक हजार रूपये लेने आये थे। मेरे गेंहूं के 41000/ रूपये व श्यामू के 60000/ रूपये थे जो कि हमने पेंट की जेब में रख रखे थे। जैसे ही हम माधोपुर गांव के माल में पहुचे तो हमारे पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर हमारी मोटरसाईकिल के आगे हो गये और हमारी मोटरसाईकिल रूकवाने लगे। जैसे ही हमने हमारी मोटरसाईकिल रोकी तो पीछे से एक मोटरसाईकिल और आ गई जिस पर दो व्यक्ति और बैठे थे। एक व्यक्ति मेरे हाथ पकड़ लिये और दूसरे ने मेरी जेब में रखे पैसों को हाथ से निकाल लिया और एक हाथ से मुझे चाकू दिखाया और कहा कि पैसे निकाल दे और हिलना मत और चुपचाप रहे। ऐसे ही श्यामू को भी उन व्यक्तियों ने पकड़ लिया और उसकी जेब में रखे 60000 ध् रूपये निकाल लिये। फिर हम वापिस केलवाडा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गये। हमने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 है चाक एफआईआर प्रदर्श पीउ है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। लूट करने वाले व्यक्तियों को मैं सकल से जानते हूं। हमने मुलजिमों को जैल में पहचाने थे जिसकी फर्द शिनाख्ती प्रदर्श पी4 है जिस पर भी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दोनों मुलजिमानों की पहचान की थी। जिरह के दौरान कथन किया है कि यह बात सही है कि वह मुलजिमान को जानता पहचानता नहीं हूं, न ही मुलजिमानों के नाम जानता हूं। मेरे चाकू किसने लगाया और किसने पैसे छीने मुझे पता नहीं है। मैंने मुलजिमानों

की शिनाख्तगी नहीं की। मुझे नोटों के नंबर याद नहीं है। नक्शा मौका मुझे पढकर नहीं सुनाया, यह बात सही है कि कौन मुलजिमान थे, मुझे पता नहीं है। उक्त गवाह प्रकाश न्यायालय के समक्ष मुलजिम बहादुर की हक तक उपस्थित हुआ, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आज से करीब तीन चार साल पहले की घटना है, मोटरसाइकिल पर वह व श्यामू सामान लेकर अपने गॉव रजपुरा जा रहे थे, केलवाडा हम राजेन्द्र से गेंहू के पैसे लेने आये थे, मैंने राजेन्द्र से 41,000/- रूपये व श्याम ने 60,000/- रूपये लिये थे। जब हम गांव जा रहे थे, तब माधोपुर के पास दो मोटरसाइकिलों पर मौजूद चार पॉच व्यक्तियों ने हमारे रूपये लूट लिये व मोबाइल व प्लग की लूटकर ले गये, फिर रामस्वरूप ने थाने पर फोन लगाया था, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 है। इस प्रकार परिवादी/आहतगण स्वयं घटना के संबंध में विरोधाभासी साक्ष्य प्रकट करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यु 15 हरलाल की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं दिनांक 20.09.2019 को थाना केलवाडा पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, उस दिन प्रकरण संख्या 95/2019 धारा 392/34 आईपीसी में मुलजिम बापर्दा बहादुर पुत्र भंवरलाल, जाति जा बंजारा, निवासी बोरेन, थाना भंवरगढ, जिला वारां को गिरफ्तार किया था, जो फर्द प्रदर्श पी 17 है, जिस पर जी से एच मेरे व ई से एफ मुलजिम बहादुर के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम ने मुझे दफा 27 की सूचना दिनांक 20.09.2019 को दी जो प्रदर्श पी 23 दी, जिस पर मेरे सी से डी हस्ताक्षर हैं तथा सूचना दिनांक 21.09.2019 को दी जो प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी मेरे तथा सी डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। साथ ही दिनांक 22.09.2019 की सूचना दी जो प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा सी से डी मुलजिम बहादुर के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम ने दफा 27 की सूचना प्रदर्श पी 23 के अनुसार जिस जगह वारदात की उस जगह का तस्दीक घटनास्थल मौका मेरे द्वारा उनकी निशादेही से तैयार किया था मुलजिम बहादुर को बापदा गिरफ्तार किया था फर्द तस्दीक टिनास्थल प्रदर्श पी 18 है जिस पर ई से एफ मेरे व सी से डी मुलजिम बहादुर के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 24 बहादुर की सूचना के अनुसार मुलजिम ने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 से अपने रिहायशी पक्के घर से प्रकरण में माल मशरूक 500-500 के 22 नोट तथा 100 100 क 5 नोट कुल 27 नोट कुल राशि 11,500 रूपये लाकर पेश किये जिनहें मेरे द्वारा प्रकरण में वांछित होने पर वजह सबूत जब्त किया जिस पर जी से एच मेरे तथा सी से डी मुलजिम वहादुर के हस्ताक्षर हैं मुलजिम की द्वारा जब्त किये गये रूपये के संबंध में बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 19 तैयार किया था जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है सी से डी मुलजिम बहादुर के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 21 पर तीन जगह एक्स वाय जेड पर तीन जगह नमूनाशील अंकित हैं प्रदर्श पी 25 की सूचना के

अनुसार जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 से प्रकरण में मुलजिम बहादुर ने अपने रिहायशी कच्चे घर से प्रकरण में वांछित घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाईकिल प्लेटिन आरजे 28 एसजे 2682 को लाकर पेश किया जिसको प्रकरण में वांछित होने पर मेरे द्वारा जब्त किया जिस पर जी से एच मेरे व मुलजिम के हस्ताक्षर हैं एक्स वाय जेड पर नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 तैयार किया था, जिस पर जी से एच मेरे व सी से डी मुलजिम बहादुर के हस्ताक्षर है। मुलजिन का आपराधिक रिकार्ड के संबंध में सूची प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी मेरे शिनाख्तगी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज शामिल पत्रावली किये। मेरे द्वारा प्रकरण में जब्त मेरे हस्ताक्षर है। किये गये राशि एवं जब्त की गयी मोटरसाईकिल को मालखाना में जमा कराया जिसकी प्रति प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा मालखाना इंचार्ज मातादीन के बयान लेखबद्ध किये गये थे, बाद अनुसंधान मेरे द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिरह के दौरान यह बताया है कि रिहायशी मकान बहादुर का मकान होने बाबत मैंने सरपंच व गॉव वालों से कोई पूछताछ नहीं की। यह कहना सही है कि जो मुलजिम परेड में शामिल किये गये वो बापर्दा हो ऐसा शिनाख्तगी दस्तावेज में अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि बहादुर को ही बापर्दा शामिल किया गया हो, ऐसा भी प्रदर्श पी 26 में अंकित नहंी है। यह कहना सही है कि मुलजिम को गिरफ्तारी एवं जब्ती करने गया उस संबंध में रवानगी रपट पत्रावली में सम्मिलित नहीं है। बरामदगी स्थल मुलजिम के मकान के आसपास हरीसिंह और मोहन का खेत है। इस गवाह ने फर्द बरामदगी के संबंध में विरोधाभासी तथ्य प्रकट किये हैं एवं जहां से बरामद होने का तथ्य बताया है, उस स्थान पर अनुसंधान अधिकारी गया हो ऐसी भी कोई रवानगी रपट पत्रावली पर संलग्न नहीं है। इसके अलावा पीडब्ल्यु 7 गवाह हरिशंकर ने स्वयं को अनुसंधान अधिकारी चौथमल के साथ दिनांक 16.05.2019 को फर्द बरामदगी नगद राशि 10,900/- व एक हीरो होण्डा गाडी काले रंगी की व मेंबर ऑफ नेना से 10900/- व उसके कब्जे से हीरोल होण्डा मोटरसाइकिल मुलजिम राय सिंह की सूचना पर 10500/- रूपये बरामद करवाये। मुलजिम नेना उर्फ मेंबर से 11200/- रूपये उसके कच्चे मकान से जब्त किये थे, वह प्रत्येक की जब्ती बनाये जाने का कथन किया। जिरह के दौरान इस गवाह ने यह जाहिर किया है कि यह सही है कि उसने परिवादी से नोटों की पहचान नहीं करवायी थी। यह सही है कि जब्तशुदा नोटों के नंबर लिफाफे पर नहीं लिखे थे। यह सही है कि फर्द जब्ती स्वतंत्र गवाहान के अनुपस्थिति में बनायी थी परिवादी भी उपस्थित नहीं था। जब्ती का समय क्या था, पता नहीं है। इस प्रकार जिरह के दौरान इस गवाह ने यह कथन किया है कि जहां से यह फर्द जब्ती तैयार की वह मुलजिम के अनन्य कब्जे का स्थान है, ऐसा भी तथ्य इस गवाह की साक्ष्य से जाहिर नहीं होता है एवं इस गवाह ने जब्ती के समय में भी अनभिज्ञता जाहिर की है। इस संबंध में

अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यु 12 चौथमल की साक्ष्य का विवेचन किये जाये तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 22.04.2019 को वह थाना केलवाडा में एएसआई के पद पर तैनात था, उस दिन मुकदमा नंबर 95/19 धारा 382, 34 आईपीसी का अनुसंधान एसएचओ साहब ने उसके सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान बयान फरियादी प्रकाश रामू, गवाह राजेन्द्र के कहे अनुसार लेखबद्ध किये। अज्ञात मुलजिमान के तलाश पतारसी की गयी, मुखबिर की सूचना पर मुलजिम बलराम बंजारा, रायसिंह व नेना को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 लगायत प्रदर्श पी 7 के गिरफ्तार किया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमान से धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 25 लगायत प्रदर्श पी 30 है, मुलजिम बलराम से बरामद राशि प्रदर्श पी 9 है, जिसकी पुश्त पर नक्शा फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नंबरी काले रंग की जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 जब्त कर ई से एफ हस्ताक्षर किये। मुलजिम राय सिंह की इत्तिला पर नकदी राशि प्रदर्श पी 11 के जब्त की, जिसका नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 14 तैयार किया। मुलजिम नेना की इत्तिला पर नकदी राशि प्रदर्श पी 12 के जब्त की, जिसका नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 15 तैयार किया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमन बलराम, मेंबर, रायसिंह की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 तैयार किया, इसी दौरान मेरा स्थानांतरण होने से पत्रावली अनुसंधान हेतु थाना केलवाडा को सुपुर्द की। जिरह के दौरान यह बताया है कि जो पैसे मुलजिमानों से बरामद किये, उनकी पहचान परिवादीगण से नहीं करायी न ही मैंने फर्द जब्ती में नोटों के नंबर अंकित किये थे। यह सही है कि जहां से मैंने बरामदगी की वहॉ जंगल नहीं है, आस पास बस्ती मकान हैं वहां के लोगों के मैंने बयान नहीं लिये। इस प्रकरण प्रकरण में जब्ती भी संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि पीडब्ल्यु 12 चौथमल जिरह के दौरान यह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि जहां से मुलजिमान के कब्जे से जब्ती की गयी वह स्थान उनका रिहायशी स्थान था एवं उनके अनन्य कब्जे व बरामदगी के समय किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नहीं है। इसके अलावा वहॉ आस पास भी काफी लोग एकत्रित हो गये थे, जिसकी जब्ती के गवाह पीडब्ल्यु 7 हरीशंकर ने बताया है, लेकिन उनको स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल नहीं किया है और न ही उन लोगों के बयान लेखबद्ध किये। ऐसी दशा में पत्रावली पर फर्द जब्ती भी संदिग्ध हो जाती है। इसके अलावा पीडब्ल्यु6 अरविदं सिंह यह भी घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने स्वयं के सामने प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही एवं मुलजिमान के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिरह के दौरान इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह सही है कि अभियुक्तगण से नोटों की जब्ती नही करवायी थी, यह बात सही है कि घटनास्थल के पास बरामदगी स्थल है, जहां बहुत व्यक्ति रहते हैं। यह सही है कि हम बरामदगी करने गये थे उसकी रवानगी रपट व वापसी रपट पत्रावली पर संलग्न नहीं है। यह बात सही है कि मुलजिमान गाडी

में ही बैठे थे, घर के अंदर नहीं गये थे। बरामदगी का समय पता नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने जिरह के दौरान ऐसा विरोधाभासी तथ्य जाहिर किया है कि जब मुलजिमानों की निशादेही से प्रकरण में फर्द जब्ती तैयार की गयी, तो मुलजिमान गाडी में ही बैठे रहे, वह घर के अंदर नहीं गये, तो जब्ती अधिकारी के द्वारा घर में रखा सामान कैसे जब्त किया, यह पत्रावली पर स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं आ पायी है। इसके अलावा जब्ती अधिकारी ने जो सामान मुलिजमान की साक्ष्य से जब्त किया वह भी किसी अन्य ने लाकर पेश किया या मुलजिम ने पेश किया, यह भी स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं होती है। यह गवाह बरामदगी का समय ज्ञात नहीं होने का तथ्य स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष जाहिर करता है और न ही जब्ती के समय कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये जाने का कथन करता है। इसके अलावा पत्रालवी पर 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलगन है। फर्द बरामदगी के समय जिस प्रकार की विरोधाभासी साक्ष्य अनुसंधान अधिकारी व गवाहान के द्वारा प्रस्तुत की है, उससे घटना के संबंध में यह युक्तियुक्त रूप से संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण व आहतगण के साथ घटना कारित की हो, ऐसा तथ्य उस परिप्रेक्ष्य में जबकि स्वयं गवाह जिसके साथ घटना हुयी थी, वह घटना संबंध में जिरह के दौरान ऐसा विरोधाभासी तथ्य प्रकट करते हैं कि पुलिस ने शिनाख्तगी की कार्यवही नहीं की न ही उन्होंने मुलजिमान की पहचान की न ही वह मुलजिमान को जानते पहचानते हं। यह गवाह जिनके साथ घटना हुयी थी, वह मुलजिमान की शिनाख्तगी की कार्यवाही किये जाने के तथ्य से भी इंकार करते हैं। यह सही है कि प्रकरण में अभियुक्तगण से जो नोट बरामद किये हैं, उनके संबंध में किसी प्रकार की पहचान परिवादीगण से नही करायी है। यह सही है कि बरामदशुदा नोटों की विशेष पहचान नहीं होती है, लेकिन घटना के संबंध में जब इस प्रकार की बरामदगी हो तो परिवादीगण से बरामदशुदा सामान के संबंध में अनुसंधान किया जाना वांछनीय होता है एवं जब अभियुक्तगण की दफा 27 की सूचना पर इस प्रकार की फर्द जब्ती तैयार की जाती है, तो परिवादी के उपस्थित होने पर परिवादी स्वयं अपने सामान के संबंध में स्पष्ट रूप से पहचान कर सकता है। इसके अलावा शिनाख्तगी की कार्यवाही गवाह पीडब्लयु 14 कैलाशचंद की साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मैं दिनांक 01.10.2019 को एस.डीएम. के पद पर कार्यरत था उस दिन पुलिस थाना केलवाडा द्वारा मु० न० 95/19 धारा 392, 34 भादस० में बापर्दा मुलजिमान की शिनाख्ति हेतु पत्रावली प्राप्त हुई। जिसमें मुलजिम 01. बहादुर सिंह शिनाख्ति की कार्यवाही की जाने हेतु पत्र जारी किया था एवं 01.10.2019 को जेल बारां में उक्त प्रकरण में फरियादी प्रकाश, श्यामलाल के सामने जिनमें से गवाहान की उपस्थिति में मुलजिम बहादुर की शिनाख्त करायी गई को मेरे सामने सही पहचाना। परिवादी प्रकाश व श्याम द्वारा मुलजिम की सही पहचान की

गई। शिनाख्ति की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा 01.10.2019 को जारी पत्र प्रदर्श पी 25 है जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। कार्यवाही शिनाख्ति प्रदर्श पी26 पर ए से बी मेरे वसी से डी जिला कारापाल बारां के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर फरियादी श्याम व इ से एफ प्रकाश के हस्ताक्षर मेरे सामने कराये गये। जिरह के दौरान इस गवाह ने कथन किया कि शिनाख्तगी समय 10 15 लोग होंगे जो लाइन में खडे थे, यह सही है कि शिनाख्तगी के समय खडे व्यक्तियों के नाम पते मैंने नहीं लिये। यह बात सही है कि शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु नियुक्ति दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज से अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.04.2019 को समय दोपहर 1.30 PM के लगभग बमुकाम मौजा गोरधनपुरा से आगे बिजली पावर हाउस के पास में सामान्य आशय की पूर्ति में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की मोटरसाइकिल के आडे फिरकर फरियादी प्रकाश से 41,000/- रूपये व श्याम से 60,000/- रूपये चाकू से मारने की धमकी देकर तत्काल उपहति के भय में डालकर ले जाकर लूट कारित की हो। अतः अभियुक्तगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 के आरोप के संबंध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

-::आ दे श::-

08- अतः अभियुक्त **1. रायसिंह पुत्र बिहारीलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां, 2. बलराम पुत्र हीरालाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी नियाणा ग्रेड के सामने बारां थाना कोतवाली, बारां, जिला बारां, 3. नेना उर्फ गुड्डू उर्फ मेंबर पुत्र जवाहरसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां, 4. बहादुर सिंह पुत्र भंवरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी बोरेन प्रथम थाना भंवरगढ, जिला बारां** को आरोपित अपराध अतंर्गत धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके पेश करेंगे जो छः माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(राजीव दत्तात्रेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहाबाद, जिला बारां

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव दत्तात्रेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहाबाद, जिला बारां